

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/122984/MTH/MATHURA/3139/CFO

दिनांक: 28-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **N R I PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **494,496,BAJNA JATTARI ROAD MITTHAULI,MATHURA** तहसील - **MANT** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
N R I PUBLIC SCHOOL ALL BLOCK	2	0	7.3 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8100.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **N R I PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-06-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJESH KUMAR** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-06-2025** से **27-06-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : In view of the recommendation report of fsso. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है, सैटबैक सत्ता प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होंगे भवन में मॉकड्रिल फायर डिमास्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-181(1)/छः-पु0-8-2024-801(1)/2023 दिनांक 18 जनवरी 2024 के अनुसार भवन है, भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबन्धक की होगी अन्यथा की स्थिति में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-06-2025
स्थान : MATHURA

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(NARENDRA PRATAP SINGH)

[CF76D699D252E9CEAD985F061E781FD310933742]

28-06-2025